of Government offices outside Delhi in the Context of over-burdened infrastructural facilities in Delhi and also the fact that adequate transport facilities are available for commutation between Faridabad and Delhi, the Committee felt that the employees provident Fund Organisation could effectively function from Faridabad where land is available for construction of this office and residential accommodation for their employees.

कीड़ों और कृमियों द्वारा अनाज बर्बाद किया जाना

8924. **श्री निहाल सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन पेस्ट्स कंट्रोल एसोसिएशन का विचार है कि देश में प्रति वर्ष कीड़ों और कृमियों द्वारा 600 करोड़ रुपये के मूल्य का अनाज बर्बाद किया जाता है और इस्तेमाल किये जाने वाले कुछ रसायनों का मनुष्यों व पौधों पर घातक प्रभाव पड़ा है और विश्व में कीटनाशी औषधि के रूप में उनके उपयोग पर रोक लगा दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो किसानों को उचित मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध कराने और घातक प्रभाव वाले रसायनों के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) दिनांक 12 फरवरी, 1981 को हुए चौदहवें वार्षिक सम्मेलन में इन्डियन पेस्ट कन्ट्रोल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि पेंस समिति (पी० ए० एन० एस० ई०) ने कटाई के बाद होने वाली औसत वार्षिक क्षति का अनुमान लगभग 9.33 प्रतिशत लगाया है, जो लगभग 120 लाख मीटरी टन बैठता है तथा जिसकी लागत लगभग 1200 करोड़ रुपए है।

(ख) सरकार उर्वरकों के मूल्यों पर राज-सहायता दे रही है। आयातित यूरिया पर प्रति मीटरी टन 700 रुपए से अधिक तथा आयातित म्यूरेट आफ पोटाश पर प्रति मीटरी टन 550 रुपए से अधिक राज-सहायता दी जाती है। कृषकों तथा वितरण करने वाली एजेंसियों उर्वरकों, जो कि सभी ब्लाक मुख्यालयों तक भेजे जाते है, को खरीद के लिये ऋण मिलता है।

कीटनाशी अधिनियम, 1968 कीटनाशी दवाइयों के आयात, विनिर्माण, विक्रय, परिवहन, वितरण तथा उनके उपयोग को नियंत्रित करता है, ताकि मनुष्यों अथवा पशुओं पर पड़ने वाले प्रभाव तथा उससे सबंधित मामलों के जोखिम से बचा जा सके। पंजीकृत कीट नाशी दवाइयों की सिफारिश की गई मात्रा में प्रयोग करने तथा सिफारिश की गई सुरक्षा संबंधी सावधानियों को अपनाने से मनुष्यों तथा जानवरों को किसी प्रकार क गम्भीर खतरा नहीं है।

दिल्ली में शहीदों की स्मृति में स्मारक बनाया जाना

8925. **श्री रामावतार शास्त्री:** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया फ्रीडम फाइटर्स आर्गनाइजेशन ने उन्हें तथा प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें शहीदे आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चन्द्रशेखर आजाद, सूर्यसेन (मास्टर दा) रोजेन्द्र लाहिडी, अशफाकुल्ला खां, बैकुण्ठ शुक्ल आदि जैसे शहीदों की स्मृति में दिल्ली में एक स्मारक की स्थापना किए जाने का अनुरोध किया गया है ;